महिला एवं बाल विकास विभाग सागर म0प्र0

सूचना के अधिकार अधिनियम

1.एकीकृत बाल विकास सेवा

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत सागर जिले में कुल 12 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 1371 आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा 0 से 6 वर्ष तक बच्चों एवं गर्भवती ,शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार,स्कूल पूर्व शिक्षा,पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं जांच ,टीकाकरण ,संदर्भ सेवा से प्रतिमाह लाभांवित किया जाता है । एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत 6 सेवाऐ ऑगनबाडी के तहत् प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

1. पूरक पोषण आहार :—

6 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा साल में तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता हैं । सागर जिले के समस्त विकास खण्ड स्थित ऑगनबाडी केन्द्रो पर वर्तमान में 17 महिला स्व सहायता समूहो के माध्यम से (पोषण आहार) पंजीरी एवं दलिया के रूप में दिया जा रहा है। उक्त पोषण आहार में 10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरी उर्जा होना आवश्यक है । कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं को दुगुनी मात्रा में पोषण आहार दिया जाता है।

2. स्वास्थ्य जॉच :— स्वास्थ्य प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए.एन.एम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की

स्वास्थ्य जॉच की जाती है। स्वास्थ्य जॉच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।

3. संदर्भ सेवाएँ :– स्वास्थ्य जॉच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड/ जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है।

4. टीकाकरण :– प्रति आंगनवाड़ी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह के कोई एक दिन टीकाकरण के लिये निर्धारित रहता है। उक्त दिवस में ए.एन.एम द्वारा आंगनवाडी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है । टीकाकरण के दौरान हितग्राहियों की स्वास्थ्य जॉच भी की जाती है।

5. पो0एवंस्वा. शिक्षाः–आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान है। गृहभेंट के दौरान महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा संतुलित भोजन के बारे में सलाह दी जाती है।

6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा :–

आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है जिससे वह प्राथमिक स्कूल में ओर बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें । इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती हैं। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैस – जल, जंगल, जानवर, इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है । बच्चों के खेलने हेतु खिलौनों का क्रय करने के लिए प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष 500 रूपये की राशि का प्रावधान है। जिसके द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रतिवर्ष 1 प्रीस्कूल किट उपलब्ध कराया जाता हैं ।

विभाग के अनुसार जिले का विभागीय स्परूप निम्नानुसार है (क्षेत्रीय)

जिला कार्यक्रम अधिकारी

परियोजना अधिकारी

सहायक सॉख्कीय अधिकारी

पर्यवेक्षक

कार्यकर्ता

सहायिका

कार्यालयीन

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
कार्यालय सहायक –1, कार्यालय सहायक –2, कार्यालय सहायक–3, भृत्य चौकिदार

बाल विकास परियोजना कार्यालय
कार्यालय सहायक–1 , कार्यालय सहायक–3, भृत्य , चौकिदार

इसके अतिरिक्त प्रत्येक परियोजना में एक वाहन (जीप) एवं बाहन चालक भी शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है ।

कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है ।

अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता योजना

1. योजना का उदृद्रेश्य

अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता के लिए यह योजना तैयार की गई है इस योजना उद्‌देश्य अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व स्वयं ही देखभाल और प्रसव के लिये होने बाले व्यय की कुछ हद तक प्रतिपूर्ति की जाना है ।

2. योजना का कार्यक्षेत्र

यह योजना राज्य के सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जायेगी

3. योजना के लिए पात्रता

अ. गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष या अधिक हो ।
ब. गर्भवती महिला का परिवार गरीबी रेखा के नीचे अत्यंत गरीब हो एवं अति गरीब के लिए पूर्व में कराये गए सर्वेक्षण में पंजीकृत हो अथवा पीलाराशन कार्ड धारी हो

4. सहायता राशि

सहायता राशि 500 रूपये होगी, जो यथा संभव प्रसव के 6 माह पूर्व दी जायेगी ।

5. **आवेदन प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति की प्रकिया –**

1. योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं भरने के लिये गॉव तथा नगरीय क्षेत्रों में ऑगनबाडी कार्यकर्ता , स्वयं जिम्मेदार होगी। ऑगनबाडी कार्यकर्ता स्वयं आवेदन पत्र आवेदक से भरवायेगीं।
2. आवेदन प्रपत्र फोटो कापी या टंकित भी हो सकते है। आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

3. येाग्य पाये गये आवेदनो की सूची का परीक्षण एवं पात्रता संबंधी प्रारंर्भिक जॉच पर्यवेक्षक द्वारा की जावेगी। अनुशंसा सहित सूची विकासखण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियो पर दी जावेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी 5 प्रतिशत् प्रकरणो की जॉच स्वयं करेगे । **परीक्षण** उपरांत पात्र हितग्राहियों की सूची स्वीकृति के लिए जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को भेजी जायेगी ।
4. जिला अधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने के सात दिवस में निर्णय लेकर एवं कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर राशि भुगतान के लिए विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भेजी जायेगी । राशि का भुगतान नगद किया जायेगा ।
5. माह के प्रारंभ में स्वीकृत हितग्राहियों, राशि वितरण की प्रगति की जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारियों के द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को भेजी जायेगी ।
6. माह में कम से कम एक बार जिला अधिकारी पात्र हितग्राहियों की संख्या एवं उसके विरूद्ध स्वीकृत हितग्राहियों को वितरित राशि का स्थल पर जाकर रेंण्डम पांच प्रकरणों का सत्यापन करेंगे ।
7. राशि कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक द्वारा स्वयं हितग्राही को दी जायेगी । यह वितरण ग्राम पंचायत के सचिव /सरपंच /ग्राम पंचायत के एक सदस्य के समक्ष किया जायेगा ।
8. पावती की प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । जो परियोजना अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेगी ।

6. सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया

1. योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का आवंटन महिला एवं बाल विकास के द्वारा सीधे जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जावेगा ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना से प्राप्त एवं कलेक्टर द्वारा अनुमोदित सूची अनुसार राशि संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करावायी जायेगी ।
3 बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा राशि का वितरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /पर्यवेक्षक के माध्यम से पंचायत के सचिव/सरपंच/ग्राम पंचायत के एक सदस्य के समक्ष कराया जायेगा ।
4 बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पावतियां एकत्रित कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जावेगी ।

7. अन्य लाभ

सहायता राशि के अतिरिक्त हितग्राहियों को शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाऐंगी । महिला एवं बालविकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य विभाग की ए.एन.एम.गर्भवती महिला की स्वास्थ्य जांच कराई जाना सुनिश्चित करेगी ।उक्त योजना अंतर्गत सागर जिले को वर्ष 2005–06 के

लिए रू.650000 का आवंटन उपलब्ध कराया गया है । जिसके विरूद्ध माह सितम्बर 2005 तक कुल 459 गर्भवती महिलाओं को राशि वितरित की गई है ।

आयुष्मिती योजना

आयुष्मिति योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की महिलाओं एवं बालिकाओं को जिला चिकित्सालय या विकासखण्ड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होकर इलाज कराने पर एक सप्ताह भर्ती होने पर रूपये 400/तथा इससे अधिक समय के लिये भर्ती होने पर रूपये 1000 की सहायता दवाईयों एवं पौष्टिक आहार क्रय करने हेतु उपलब्ध कराई जाती है । ग्रेड तीन एवं चार की कुपोषित भूमिहीन परिवार की बालिकाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं तथा ऐसे भूमिहीन परिवारों की बालिकाएं जिनके परिवार को पट्टा आवंटन के तीन वर्ष तक योजना का लाभ दिया जा सकता है । ऐसी बालिकाओं के लिए लाभ की सीमा एक वर्ष में केवल एक बार के इलाज के लिए अधिकतम रूपये 250 प्रति बालिका है । वर्ष 2005–06 के लिए जिले के लिए रूपये 426490 का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध रूपये 265972 का व्यय माह सितम्बर 05 तक कर कुल 1077 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना

राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 8 से 12 सप्ताह पूर्व रूपये 500 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । ताकि इस राशि से गर्भवास्था के दौरान पौष्टिक आहार का सेवन कर सकें एवं स्वस्थ्य बच्चे को जन्म दे सके । इस योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सदस्या हो, उम्र 19 वर्ष से कम न हो ,टीकाकरण नियमित कराया गया हो उक्त लाभ केवल प्रथम एवं द्वितीय प्रसव पर ही दिया जाता है । लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत एवं ए.एन.एम. या महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है ।

वर्ष 2005–06 मे जिले को रूपये 432000 का आवंटन पूर्व की शेष राशि के रूप में उपलब्ध था । जिसके विरूद्ध माह सितम्बर05 तक रूपये 432000 का व्यय कर कुल 864 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

दत्तक पुत्री शिक्षा योजना

गरीब एवं निर्धन परिवार की ऐसी बालिकाएं जिन्होंने आर्थिक कारणों से शाला त्याग दी है अथवा जो कि आगे पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना कर रही है ऐसी बालिकाओं को माध्यमिक शाला तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु दत्तक पुत्री शिक्षा योजना अंतर्गत लाभांवित किया जाता है ।

योजना अंतर्गत गरीब परिवार की बालिकाओं की शिक्षा को बालबाड़ी से आगे बढ़ाने और कम से कम 5वीं और 8वीं कक्षा तक शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से कोई भी दानदाता सिर्फ एक बार रूपये 300 (प्राथमिक शाला की बालिका के लिए) या रूपये 400

(माध्यमिक शाला की बालिका के लिए) सहयोग राशि देकर किसी भी बालिका को एक वर्ष के लिए दत्तक ले सकता है ।

किशोरी शक्ति

किशोरी शक्ति योजना 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल संतुलित भोजन व आर्थिक स्वालंबन हेतु प्रशिक्षण देने के लिये प्रदेश के सभी 336 बाल विकास परियोजना में अक्टूबर,2001 से प्रारंभ की गई है । इस योजना के तहत दिये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये बालिकाओं के चयन हेतु निम्न मापदण्ड तय किये गये हैं :–

1. बालिका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो ।
2. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में भी सर्वप्रथम शाला त्यागी बालिका को प्राथमिकता दी जाए ।
3. उपरोक्त दोनों मापदण्ड पूरी करने वाली 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं का चयन प्रारम्भ वर्ष में किया जाए ।

उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार चयनित किशोरी बालिका की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाता है । इस योजना में जिला स्तरीय प्रशिक्षण, विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण एवं पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाकर विभिन्न स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है । प्रशिक्षण के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग 18 किशोरी बालिकाओं का चयन कर उनको 3 विभागीय पर्यवेक्षक, ए0एन0एम0 तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण में किशोरी बालिकाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्य की देखभाल तथा आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य जीवनोंपयोगी जानकारी भी दी जाती है । प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष भर में कुल 3 दिवसीय प्रशिक्षणों का आयोजन तीन–तीन माह के अंतराल पर दिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के समय ए0एन0एम0 द्वारा किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयरन फोलिक एसिड की गोलियां तथा आवश्यक होने पर डिवार्मिंग गोलियां भी उपलब्ध करायी जाती है । वर्तमान में उक्त योजना जिले के सभी 12 परियोजनाओं में संचालित की जा रही है ।

दत्तक पुत्री शिक्षा योजना

उद्देश्य : ऐसी बालिकाएं, जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाती और उनके माता पिता उनसे आर्थिक उपार्जन के कार्य कराते हैं, को जन सहयोग से आर्थिक सहायता दिलायी जाना ताकि ऐसी बालिकायेपढ़ाई प्रारंभ कर सकें।

पात्र हितग्राही : अ–ऐसी बालिकायें जिन्होंने गरीबी के कारण स्कूल छोड़ दिया है।
ब–जो स्कूल में पढ़ रही है। परन्तु गरीबी के कारण उनके स्कूल छोड़ने की संभावना है।
स–वे बालिकायें जो कभी स्कूल नहीं गई है।

योजना : कोई भी व्यक्ति दत्तक ले सकता हैं । दत्तक लेने वाला व्यक्ति

प्राथमिक शाला वाली बालिका के लिये 30 रू.और माध्यमिक शाला वाली बालिका के लिये 40 रू. प्रतिमाह की राषि दस माह तक बालिका के पिता और अभिभावक को प्रदाय करेगा । राषि सीधे बालिका के माता–पिता को या जिला कलेक्टर (दत्तक पुत्री षिक्षा योजना) के नाम से खोले गये खाते में नगद जमा कर सकता है। यह राषि संबंधित बालिका के माता–पिता यो अभिभावक को जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से वितरित की जाती है। समाज सेवी संस्थाए भी इस योजना में बालिकाओ को दत्तक ले सकती है ।

कार्यक्षेत्र : संपूर्ण मध्यप्रदेष में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिये ।

चयन : बालिका का चयन स्कूल के प्रधान अध्यापक, ग्राम सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत के प्रतिनिधि और ग्राम के प्रभावषील व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है ।

संपर्क : 1.ग्राम स्तर पर – स्थानीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक से ।
2.विकासखंड स्तर पर – विकासखंड शिक्षा अधिकारी से।
3.जिला स्तर पर – उपसंचालक, शिक्षा अथवा जिला शिक्षा अधिकारी से ।

बालिका समृद्धि योजना

उद्देश्य : गरीब परिवार में जन्मी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बालिका को सर्वागीण उन्नति के अवसर देकर समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना ।

योजना कार्यक्षेत्र : यह योजना 2 अक्टूबर 1997 में सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। गरीब परिवार की महिला द्वारा 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद जन्मी बालिका को 500 रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिये आवेदन दिया जा सकता है। बालिका को शिक्षा के लिये 6 वर्ष की आयु के बाद वार्षिक छात्रवृत्ति भी इस योजना में दी जाने का प्रावधान है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश योजना का कार्यक्षेत्र है।

पात्र हितग्राही : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला और अगस्त 97 के बाद जन्मी बालिकाएॅ ।

हित. चयन प्रक्रिया : परिवार के कुल बच्चों में से दो बालिकाओं को ही योजना का लाभ दिया जाता है।

योजना क्रिया.प्रक्रियाः ग्राम पंचायत नगर पालिका द्वारा पात्र हितग्राही का आवेदन प्राप्त कर क्रियान्वयन एजेंसी को प्रेषित किया जाता है।

संपर्क : महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी।

स्व सहायता समूह

ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की महिलाओ को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए स्व रोजगार स्थापित करने एवं समूह भावना से बचत हेतु उत्साहित कर उन्हे व्यवसाय क्षेत्र में आगें लाने के उद्देश्य से स्व सहायता समूह गठित किये जाते है। विभाग द्वारा 1487 समूहो का गठन किया गया है। जिनमें 17368 महिलाये सदस्य है। इन समूहो द्वारा 2,58,3048 रूपये की बचत की है।

अशासकीय संस्थाऐ

विभाग द्वारा महिलाओ के कल्याण हेतु कार्यरत 23 अशासकीय संस्थाऐ विभागीय मान्यता प्राप्त है। जिनमें से 10 स्वैछिक संस्थाऐ अनुदान प्राप्त कर रही है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में इन संस्थाओ को विभिन्न गतिविधी (सिलाई , टाईपिंग , ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केन्द्र) संचालन हेतु रूपये 3,20,000=00 अनुदान महिला कल्याणकारी योजनाओ के तहत् दिया गया । साथ ही अशासकीय संस्थाओ द्वारा विभागीय गतिविधियो में वित्तीय वर्ष 2004–05 में 422 महिलाओ को लाभान्वित किया गया हैं।

जावाली योजना :–

जावाली योजना अंतर्गत सागर जिले में सत्यशोधन आश्रम ग्राम पथरिया में संचालित है जिसमें 114 बच्चे निवास कर अध्ययन कर रहे है। ये सभी बच्चे बेडिया जाति से है , अध्ययन हेतु पुस्तके , दवाईयॉ , भोजन आदि हेतु विभाग द्वारा इस स्वैछिक संस्था को अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में संस्था को 10.08 लाख रूपये अनुदान स्वीकृत किया गया है।

अनाथालय :–

इस जिला अंतर्गत दो अनाथाश्रम संचालित है। संस्था सागर महिला बाल विकास समिति द्वारा संचालित संजीवनी बाल आश्रम रजाखेडी में 61 बच्चो को लाभान्वित किया जा रहा है। इस संस्था को वित्तीय वर्ष 2004–05 में 1.94 लाख रूपये अनुदान स्वीकृत किया गया है।

अशासकीय संस्था अन्तर्जतीय विवाह समाज्योत्थान समिति सदर सागर द्वारा संचालित कबीर मानव सेवा अनाथ आश्रम कुडारी ग्राव में संचालित किया जा रहा है। इस अनाथालय में वर्तमान में 21 बच्चे लाभान्वित किये जा रहे है। इस हेतु विभाग द्वारा इन्हे 64 हजार रूपये का अनुदान वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु स्वीकृत किया गया।

मदवार, बजट आवंटन तथा उपयोग

सागर जिले को वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए प्राप्त बजट एवं उपयोग की जानकारी निम्नानुसार है ।

1. **55–2235–02–001–0101–9041 महिला एवं बाल कल्याण**			
मद	प्राप्त आवंटन	9/05 तक व्यय	शेष आवटन
1	2	3	4
11 वेतन भत्ते आदि			
001 वेतन	200000	188864	11136
003 मंहगाई भत्ता	110000	103073	6927

006 मकान किराया	4500	7618	(–) 3118
008 अन्य भत्ता	1500	330	1170
009 चिकि.प्रति.भत्ता	3000	–	3000
016 अनाज अग्रिम	4000	–	4000
21 यात्रा भत्ता	3000	–	3000
योग–			
2. 55–2235–02–102–0801–9130 एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परिवीक्षण			
11 वेतन भत्ते आदि			
001 वेतन	300000	160664	139336
003 मंहगाई भत्ता	180000	103736	76264
008 अन्य भत्ता	15000	5175	9825
009 चिकि.प्रति.भत्ता	2000	1030	970
016 अनाज अग्रिम	6000	–	6000
011 त्यौहार अग्रिम	3000	–	3000
योग–	**506000**	270605	235385
12 मजदूरी	12000	2100	9900
21 यात्रा भत्ता	30000	1822	28178
22 कार्यालय व्यय	84000	46028	37972
37 मेला उत्सव प्रदर्शनी इत्यादि	3000	–	3000
महायोग–	**635000**	**320555**	**314445**
3. 55–2235–02–102–0801–5354–योजना 7वें बाल संजीवनी अभियान			
51 बाल संजीवनी	193061.60	–	19306.60
4. 55–2236–02–101–0101–9050ग्रामीण परि0 मे पो.आ. आयोजना			
34 सामग्री और पूर्तियां			
004 राशन का मूल्य	14250000	8445049	5804951
5. **55–2235–02–103–9132 शासकीय झूलाघर खुरई आयोजनेत्तर**			
11 वेतन एवं भत्ते			
001 वेतन	100000	65100	34900
003 मंहगाई भत्ता	55000	49843	5157
006 मकान किराया	6000	1628	4372
008 अन्य भत्ता	1500	180	1320
009 चिकि.प्रति.भत्ता	1500	–	1500
016 अनाज अग्रिम	2000	–	2000
योग–	**166000**	**116751**	**49249**
22 कार्यालय व्यय	4500		4500
34सामग्रीऔर पूर्तियां	2000		2000
महायोग–	**172500**	**116751**	**55749**
6. 55–2236–02–101–9050			
12 मजदूरी	192500	158039	34461

7. 64–2236–02–101–0103–2179 शहरी क्षेत्र विशेष पो.आ. योजना			
34 सामग्री और पूर्तीयॉ 009 अन्य	2250000	844435	1405565
8. 41–2235–02–103–0102–4990–प्लान			
42 आर्थिक सहायता सहायक अनुदान 007 अन्य	40000	16625	23375
8 55–2235–02–800–0101–8145–प्लान आयुष्मति योजना			
विशिष्ट सेवाओ के लिये मानदेय	17580	–	17580
सामग्री और पूर्तिया	39990	17347	22643
विज्ञापन एवं प्रचार	12790	–	12790
सहायक अनुदान	76130	–	76130
योग योजना	**146490**	**17347**	**129143**
9. 64–2235–02–103–0103–4990–प्लान आयुष्मति योजना			
42 आर्थिक सहायता	240000	152559	87441
योग आयुष्मति	**426490**	**186531**	**239959**
10. 41–2235–02–103–0102–7909–प्लान			
42 आर्थिक सहायता	100000	1000	99000
11. 55–2235–02–103–0101–7909–प्लान			
42 आर्थिक सहायता	50000	–	50000
12. 64–2235–02–103–0102–7909–प्लान			
42 आर्थिक सहायता	500000	86500	413500
योग अतिगरीब महिलाओ को प्रसव पूर्व आर्थिक सहा.	**650000**	**87500**	**562500**
13. 55–2235–02–102–0801–5355–उदिशा प्रशिक्षण			
24 परीक्षा एवं प्रशि.	150000	111332	38668
42 सहायक अनुदान	400000	–	400000
योग प्रशिक्षण	**550000**	**111332**	**438668**
14. 55–2235–02–102–0801–0658–प्लान आईसीडीएस योजना सामान्य			
34 सामग्री और पूर्तीया	143400	10543	132857
15. 55–2235–02–102–0801–5354–प्लान आईसीडीएस योजना विदेशी सहा. योजना			
34 सामग्री और पूर्तीया	267900	11258	256642
16. 64–2235–02–103–0103–9369			
42 सहायक अनुदान	16000	16000	–
17. 55–2235–02–103–0101–9944 महिला जागृति शिविर			
31 व्यवसायिक	32000	32000	–

सेवाओ हेतु			
योग योजना महिला जागृति शिविर	**48000**	**48000**	—
18. 64—2235—02—107—0101—6847—विविध अनुदान			
42 सहायक अनुदान	198300	77000	121300
19. 64—2235—02—102—0103—6847—प्लान			
42 सहायक अनुदान	400000	209000	191000
20. 64—2235—02—103—0103—2033—जावाली योजना			
42 सहायक अनुदान	768000	415080	352920
21. 55—2235—02—102—0801—5354—ऑ.बा. कार्य. पुरस्कार			
51 अन्य प्रभार	7500	—	7500
22. 55—2235—02—103—0801—8687—बालिका समृद्धि योजना आयोजना			
42 सहायक अनुदान	1200000	—	1200000

11. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम :—

मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 336 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 49784 आंगनवाडी केन्द्रों में पोषण आहार की व्यवस्था राज्य सरकार की निधि से की जा रही है। सागर जिले की 12 बाल विकास परियोजनाओ के 1371 आंगनवाडी केन्द्रों में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं एवं कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण आहार दिया जाता है । 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को 80 ग्राम पूरक पोषण आहार प्रतिदिन दिया जाता है, जिसमें 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन होता है । गर्भवती/शिशुवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को यही मात्रा दुगनी अर्थात 160 ग्राम प्रति हितग्राही प्रतिदिन दी जाती है । वर्तमान में 12 परियोजनाओं में पोषण आहार प्रदाय व्यवस्था निम्नानुसार 17 स्व सहायता समूहो द्वारा की जा रही है :—

क्र	परियोजना का नाम	ऑगनबाडी केन्द्रो में पूरक पोषण आहार प्रदाय कर रहे स्व सहायता समूह का नाम
1	सागर शहरी	सिद्ध दात्री स्व सहायता समूह सागर
		सीता स्व सहायता समूह सागर
		वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह सागर
		जागृति स्व सहायता समूह सागर
2	सागर ग्रामीण	प्रयास स्व सहायता समूह हपसिली
		शारदा स्व सहायता समूह ढाना
		करमेती स्व सहायता समूह रजाखेडी
3	खुरई	मॉ गायत्री स्व सहायता समूह खुरई
4	बीना	अम्बेडकर स्व सहायता समूह लडैयापुरा
5	मालथौन	अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह बॉदरी
6	केसली	लक्ष्मी स्व सहायता समूह सहजपुर
7	देवरी	लक्ष्मी स्व सहायता समूह देवरी पथरिया
8	राहतगढ	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह राहतगढ
9	जैसीनगर	प्रगति स्व सहायता समूह कर्रापुर

10	शाहगढ	जागृति स्व सहायता समूह हनौताकलॉ
11	बण्डा	आदर्श रजनी स्व सहायता समूह बण्डा
12	रहली	गृहलक्ष्मी स्व सहायता समूह रहली

अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओ को वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान

क्र.	संस्था का नाम	संचालित गतिविधी	वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु स्वीकृत अनुदान (प्रथम किश्त)
1	नवीन आदर्श महिला समिति सागर	सिलाई प्रशिक्षण	18000=00
2	आदिम शिक्षा कल्याण समिति सागर	सिलाई प्रशिक्षण	21000=00
3	एश्वर्य शिक्षा प्रचार प्रसार समिति सागर	सिलाई प्रशिक्षण	15000=00
4	अन्तजार्तीय विवाह समाज्योत्थान समिति सागर	सिलाई प्रशिक्षण	9000=00
5	सागर महिला बाल विकास समिति सागर	सिलाई प्रशिक्षण	14000=00
6	शिवम जन कल्याण परिषद समिति खुरई	सिलाई प्रशिक्षण	18000=00
7	चंद्रिका महिला बाल विकास समिति देवरी	सिलाई प्रशिक्षण	25000=00
		टाईपिंग प्रशिक्षण	16000=00
		ब्यूर्टीपार्लर प्रशिक्षण	20000=00
8	एकता महिला बाल विकास समिति देवरी	सिलाई प्रशिक्षण	20000=00
9	वीरांग्ना नारी कल्याण समिति देवरी	सिलाई प्रशिक्षण	20000=00
10	सत्यशोधन आश्रम पथरिया	जावाली	400000=00